न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00076

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

कलावती पत्नी हीराराम जाति कुम्हार
संशोधित शीर्षकः–
चन्दगीराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी 2 एमजीडब्ल्युएम खाजूवाला।

.....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णयः **दिनांकः– 01.12.2022**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में 3.12 बीघा में खातेदार कलावती पत्नी हीराराम जाति कुम्हार निवासी साजनवास द्वारा अवैध खनन होना पाया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी खातेदार को अवैध खनन करते होना पाया गया है। अवैध खनन करने के कारण खातेदार की खातेदारी निरस्त हेतु दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावे में संलग्न अभियानद ल की रिपोर्ट, नक्शा, जमाबन्दी संलग्न कर प्रस्तुत है।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी चन्दगीराम को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया एवं प्रतिवादी चन्दगीराम की ओर अधिवक्ता विनोद भोभरिया प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार चक 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 का कुल 3.12 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें पूर्व मालिक कलावती के नाम से अवैध खनन को लेकर न्यायालय हाजा से नोटिस जारी हुआ है। उक्त कृषि भूमि का जरिये बैयनामा प्रार्थी एकमात्र मालिक दिनांक 07.08.2018 से बरकरार है। कलावती ने उक्त भूमि राजूराम को बैयकर दी थी और बाद में राजूराम से प्रार्थी ने क्रय की, इस दौरान उक्त भूमि में से किसी तरह का अवैध खनन नहीं किया गया है। कलावती के मालिक होते समय का यह प्रकरण विचाराधीन है, जिसका हल्का पटवारी व राजस्व तहसीलदार को संज्ञान था फिर भी क्रेता को कोई जानकारी नहीं दी गई और नाही बैयनामा व इंतकाल दर्ज करते समय ही क्रेता को बताया।

क्रेता ने पाकसाफ जानकर ही उक्त भूमि क्रय की थी और बाद में कभी भी अवैध खनन नहीं होने दिया और इस बाबत् हल्का पटवारी की रिपोर्ट मंगवाकर मौके की तस्दीक करवाई जा सकती है। उक्त रकबा प्रार्थी के कब्जा में पूरी तरह पाक साफ होने की वजह से कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/118 दिनांक 03.03.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक दन्तौर व पटवार हल्का बल्लर से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार चक 1 2 एमजीडब्ल्युएम के मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में 3. 12 बीघा कमाण्ड चन्दगीराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी करणपुरा चुरू हाल चक 2 एमजीडब्ल्युएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौकानुसार मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 में सरसों काश्त है। पूर्व में चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/54 किला नं0 22 ता 25 अवैध खनन (कृषि से अकृषि कार्य) हुआ था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः—

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   .....जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   .....जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात साक्ष्य हेतु अनेक अवसर देने के बाद भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य बंद किये जाकर बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 27.05.2015 व तहसीलदार रिपोर्ट 03.03. 2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी के जवाब से प्रतीत होता है कि अवैध खनन हुआ है एवं पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है।

पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया खातेदार से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। खातेदार का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी/खातेदार ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 22 ता 25 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 27.05.2015 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादी असफल रहा है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 2 एमजीडब्ल्युएम मु0नं0 100/54 के किला नं0 22 ता 25 की 3.12 बीघा उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)